किस्म प्रकरण : इजराय प्रार्थना पत्र

मुकदमा

डिक्री के

तारिख हुक्म	शकुन्तला कवंर बनाम मूलाराम, मेवाराम वगैरह हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
20.05.2026	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश–21 नियम–11 सीपीसी दिनांक 17.04.2026 पर अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस दी गई दलीलों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रकरण के संलग्न दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम–केरियावास के खसरा नं. 51 रकबा 2.66 हैक्टेयर, में से खरीद सुदा भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र संख्या 94/2020 अनुवान विक्रमसिंह बनाम बलदेवसिंह निर्णय दिनांक : 29.09.2023, वादपत्र संख्या 65/2021 अनुवान शकुन्तला कवंर बनाम मूलाराम वगैरह निर्णय दिनांक 28.12.2023 में पारित निर्णय आदेश की पालना तहसीलदार नावां द्वारा नहीं की गई है। उक्त प्रकरणों में पारित निर्णय आदेश की पालना की जाने बाबत तहसीलदार नावां को आदेश जारी किये जावे। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 05.05.2026 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। इसी प्रकार प्रकरण में वर्णित खसरान 51 रकबा 2.66 हैक्टेयर के संबंध में पूर्व में वादपत्र संख्या 94/2020 अनुवान विक्रमसिंह बनाम बलदेवसिंह निर्णय दिनांक : 29.09.2023 एवं वादपत्र संख्या 65/2021 अनुवान शकुन्तला कवंर बनाम मूलाराम वगैरह निर्णय दिनांक 28.12.2023 पारित किये गये है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त निर्णय आदेश की पालना के संबंध में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रकरण में निर्णय वर्ष 2023 में पारित किये गये है, इस संबंध में विचारण अवधि के दौरान किसी अन्य न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं ? इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी ने किसी प्रकार की दलीलें व दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थी का इजराय प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित खसरान नं. 51 रकबा 2.66 हैक्टेयर की भूमि के संबंध में अन्य किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होने पर न्यायालय हाजा के निर्णित वाद प्रकरण वादपत्र संख्या 94/2020 अनुवान विक्रमसिंह बनाम बलदेवसिंह निर्णय दिनांक : 29.09.2023 एवं वादपत्र संख्या 65/2021 अनुवान शकुन्तला कवंर बनाम मूलाराम वगैरह निर्णय दिनांक 28.12.2023 में पारित आदेश अनुसार पालना की जावे। प्रकरण में पालनार्थ तहरीर तहसीलदार नावां को जारी हो। प्रकरण में किसी प्रकार कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से प्रकरण निस्तारित किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। दिव्या सोनी उपखण्ड अधिकारी, नावां

16/5/2026

Scanned with OKEN Scanner